न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 8880/2018

बनाम

प्रार्थी :-
सुबान खां पुत्र उमतर खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी चौकीन की ढाणी जसपाली तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

अप्रार्थीगण :-

1. नैनी पुत्र उमर खां पत्नि आयुब खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी कमेडियो की ढाणी बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. लाडा पुत्री उमर खां पत्नि इब्राहिम जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धीयो की बास पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
3. धापू पुत्री उमर खां पत्नि ईस्माईल खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धीयो की बास पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
4. मुमा उर्फ मुमल पत्नि उमर खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी चौकीन की ढाणी जसपाली तहसील पीपाड़ शहर ।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ताः-
श्री फारूख खान सिन्धी प्रार्थी की ओर से
श्री मन्सूर अली छीपा अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 29/11/19

प्रार्थी नें एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 (1)ख आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि ग्राम जसपाली की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 742 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 750 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1742 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1746 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है । जिसमें प्रार्थी का सहखातेदारी का हक हिस्सा 1/2 स्थित हैं । जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त भूमि आज दिन तक माप एवं सीमांकन अनुसार बन्टवाड़ा करवाने हेतु श्रीमान न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है एवं मूल वाद के साथ एक अस्थासी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं. 1312/2017 बअनवान सुबान खां बनाम नैनी वगैरा में दिनांक 18.06.2018 को श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दोनो पक्षकारान को पाबन्द किया गया है कि वादग्रस्त आराजी की मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने के व दोनो पक्ष एक दूसरे हक हिस्से एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न नही करें एवं न ही किसी अन्य से करावे एवं दोनो पक्ष किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करेंगे, उपरोक्त

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा उपरोक्त अनवान प्रकरण में दिनांक 18.06.2018 को जारी कर रखी है । वादग्रस्त आराजी में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देते हुए दिनांक 02.07.2018 को वादग्रस्त आराजी में जबरदस्ती रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रवेश कर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी व ऐलानिया कहा कि हम तुम्हारी आराजी पर कब्जा करके रहेगे व प्रार्थी के हक हिस्से में खेती नही करने देगे व जबरदस्ती खेती करने पर उतारू है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है क्योकि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी सहखातेदार है व प्रार्थी अपनी 1/2 हक हिस्से की भूमि पर कृषि करने से अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती रूप से रोका जा रहा है जो कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.06.2018 की खुल्ले रूप से अवैहलना हो रही है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी के हिस्से में अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती रूप से कब्जा कर हड़पने की कोशिश की जा रही है व प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है व प्रार्थी के हिस्से में अप्रार्थीगण कच्चा पक्का निर्माण कर व कृषि कार्य कर अप्रार्थी के की हुई मेड़बन्दी/बाड़ को हटाने व तोड़ने की कोशिश की जा रही है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को जरिये रिसीवर के कुर्क किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास वादग्रस्त आराजी को जरिये रिसीवर नियुक्त कर सुरक्षित रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है वादग्रस्त आराजी को जरिये रिसिवर सुरक्षित किये जाने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की रक्षा होगी व अप्रार्थीगण पुलिस थाना पीपाड़ शहर में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने को लगे हुए है प्रार्थी व अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में कई बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाई व अभी हाल ही में दिनांक 30.06.2018 को प्रार्थी की पत्नि खैत में काम करने गई जो अप्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियो ने प्रार्थी की पत्नि के साथ मारपीट छेड़छाड़ की व लज्जा भंग की जिसका मुकदमा प्रार्थी की पत्नि द्वारा श्रीमान एस.पी.महोदय जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी जांच पुलिस थाना पीपाड़ शहर में विचाराधीन है एवं दिनांक 02.07.2018 को प्रार्थी के हिस्से की वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण ने जबरदस्ती कृषि कार्य व हरे वृक्ष काट दिये तब प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर व थानाधिकारी पीपाड़ शहर को वादग्रस्त आराजी न्यायालय आदेश दिनांक 10.06.2018 की पालना सुनिश्चित करवाने के आदेश दिये गये । इसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी को काश्त कार्य करने नही दे रहे है । उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.07.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकियां देने व वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की ऐलानियां धमकी देने पर उत्पन्न हुआ व आज भी लगातार उत्पन्न हो रहा है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 742, 750 व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1742, 1746 को

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं. पांच को रिसिवर नियुक्त कर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को कुर्क किया जावें व भूमियारी तहसीलदार की तहसील में वादग्रस्त आराजी को रखे जाने के सादर आदेश पारित फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर ,अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से वकील मन्सूर अली छीपा ने वकालातनामा प्रस्तुत किया व जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकन किया है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. 1 ग्राम जसपाली की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 742, खसरा नम्बर 750, खसरा नम्बर 1742, खसरा नम्बर 1746 का अंकन किया है जो राजस्व रेकर्ड से संबंधित है तथा वादग्रस्त आराजी कैसे है स्वयं प्रार्थी साबित करे व प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी कोई हक व हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी ने अपना 1/2 हक व हिस्सा होना अंकित किया है जो पूर्णतः गलत है । वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक माप एवं सीमाकंन अनुसार बंटवाड़ा नही हुआ है व प्रार्थी ने एक वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश कर रखा है उक्त तमाम कथन स्वयं प्रार्थी साबित करें । प्रार्थी ने आगे अंकन किया कि प्रकरण सं. 1312/2017 बअनवान सुबान खां बनाम नेनी वगैरा में दिनांक 18.06.2018 को श्रीमान न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये जो रेकर्ड के अनुसार सही है लेकिन उक्त आदेश की अपील अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में की गई है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को बेदखल करने की दिनांक 02.07.2018 को धमकियां दी व खेती करने से मना किया व कृषि कार्य करने से जबरदस्ती रोका जा रहा है व स्थगन आदेश की घोर अवहेलना की जा रही है उपरोक्त तमाम कथन गलत बेबुनियाद है । प्रार्थी ने उक्त तमाम कथन झुठे अंकित किये है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है न ही कोई हक व हिस्सा है प्रार्थी ने अपने आप को स्व.उमर खां का जाईन्दा पुत्र बताते हुए उमर खां के फौत होने के बाद वादग्रस्त आराजी में अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया । स्वयं प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद पत्र में अपने आप को उमर खां का जाईन्दा पुत्र बताया व प्रार्थना पत्र सं. 1312/2017 में अपने आप को उमर खां का जाईन्दा पुत्र बताया व अप्रार्थी नेनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील सं. 17/2017 व 18/2017 न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर में प्रार्थी ने अपने अपील के जवाब में अपने आप को उमर खां का गौदी पुत्र होना बताया । प्रार्थी वादग्रस्त आराजी को जबरदस्ती हड़प करने के लिए व अप्रार्थी सं. 1 से 3 जो कि उमर खां की जाईन्दा पुत्रीयां है व अप्रार्थी सं. 4 जो कि उमर खां की पत्नि है को तंग व परेशान करने के लिए उक्त झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थी द्वारा कूटरचना व फर्जीवाड़ा करते हुए तथा प्रार्थी उमर खां का पुत्र नही होते हुए भी अपने आप को उमर खां का पुत्र बताते हुए राजस्व रेकर्ड में फर्जीवाड़ा करवाया जिस पर अप्रार्थीगण को जानकारी होने पर अप्रार्थी सं. 3 मूमा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 5/2018 पुलिस थाना पीपाड़ शहर में दर्ज हुई जिसमें अनुसंधान जारी है इस प्रकार प्रार्थी ने झुठे कथन अंकन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी ने अंकन किया कि वह अप्रार्थीगण के साथ सहखातेदार

Scanned by CamScanner

है व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर रहे है जो कथन गलत है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में हित नही है व अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के यहां विचाराधीन है तथा प्रार्थी ने पूर्व में जो मुकदमे दर्ज करवाये है उसमें एफआर प्रस्तुत हुई है व प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर व थानाधिकारी पीपाड़ शहर को आदेश की पालना हेतु पेश किये है वह गलत है । अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायिक अवमानना का कोई आरोप प्रार्थीगण ने साबित नही किया है व अप्रार्थीगण न्यायालय आदेश की किसी प्रकार से अवमानना नही की है । प्रार्थी ने दिनांक 02.07.2018 की मनगढ़त घटना बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया तथा अपनी बहस में बताया कि न्यायालय द्वारा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश हो चुके है इसके बावजुद अप्रार्थीगण ने रहवास की जगह को वह खेतो की माठ को खुर्द बुर्द किया है व थानाधिकारी को भी रिपोर्ट दी थी लेकिन कार्यवाही नही हुई व अप्रार्थीगण न्यायालय आदेश की अवमानना कर रहे है इसलिए वादग्रस्त आराजी को कुर्क कर भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिसिवर नियुक्त किया जावें । वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए बहस में बताया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण का पुत्र व भाई नही है तथा फर्जी रूप से उमर खां के फौत होने पर नामान्तरण में पुत्र के रूप में नाम दर्ज करवाया है व सुबान खां दाऊद खां का पुत्र है तथा सुबान खां ने उमर खां के गोदपुत्र होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किये है तथा प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में सुबान खां ने अपने आप को उमर खां का पुत्र बताया है तथा अपीलीय न्यायालय में अपील सं. 18/17 व 17/17 में उमर खां का गोद पुत्र बताया है वर्तमान में प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण सं. 1312/2017 के निर्णय दिनांक 18.06.2018 की पालना हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील विचाराधीन है व वादग्रस्त आराजी को लेकर अन्य अपीले सम्भागीय न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है व वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थीया मुमा द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 05/2018 सी.आर.नम्बर का विचाराधीन है व प्रार्थी ने न्यायिक अवमानना की कोई कार्यवाही नही की है। अप्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश को कोई अवमानना नही की है । इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण का जवाब, व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा प्रकरण सं. 1312/2017 में दिनांक 18.06.2018 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है व अप्रार्थीगण पालना नही कर रहे है इसलिए वादग्रस्त आराजी को कुर्क किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर रिसिवर नियुक्त किया जावें । जबकि प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की अवमानना को लेकर

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में न्यायिक अवमानना की कोई कार्यवाही नही की है तथा अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की हो ऐसा प्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है । राजस्व प्रकरण सं. 1312/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के यहां अपील सं. 192/2018 विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण जो कि रेकर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी को लेकर अलग-अलग अपीलीय न्यायालयो में अपीले विचाराधीन है इसलिए प्रार्थी का उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है ।

अतः प्रार्थी ने प्रकरण में वादग्रस्त आराजी को रिसिवर नियुक्त कर कुर्क करने बाबत् कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है व प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी को लेकर अन्य अपीलीय न्यायालयो में अपीले विचाराधीन है व अन्य प्रकरण विचारधीन है अप्रार्थीगण ने न्यायिक अवमानना की हो व प्रार्थी ने कोई कार्यवाही न्यायालय में प्रस्तुत की हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है इसलिए अप्रार्थीगण को सीधे ही न्यायिक अवमानना का दोषी नही माना जा सकता इसलिए उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन, सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 29/11/19 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner